



2026:AHC:56367

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आवेदन अंतर्गत धारा 528 बी.एन.एस.एस. संख्या - 11023 वर्ष 2026

हजारी सोनकर @ राजन

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....विपक्षी गण

आवेदक के अधिवक्ता: प्रवीण कुमार पाल

विपक्षी गण के अधिवक्ता: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 81

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. सूचना देने वाले/विपक्षी संख्या 2 की ओर से श्री रवींद्र यादव द्वारा आज दाखिल वकालतनामा रिकॉर्ड पर लिया जाता है।
2. आज दाखिल किया गया पूरक शपथ पत्र भी रिकॉर्ड पर लिया जाता है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. और सूचना देने वाले/विपक्षी संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रवींद्र यादव को सुना गया।
4. वर्तमान आवेदन एस.एस.टी. संख्या 18 वर्ष 2019 (राज्य बनाम हजारी सोनकर), जो केस क्राइम संख्या 743 वर्ष 2016, अंतर्गत धारा 363, 366 आई.पी.सी. और धारा 17/18 पोक्सो एक्ट, थाना गौरा बादशाहपुर, जिला जौनपुर से उत्पन्न हुआ है, की संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही तथा आरोप पत्र दिनांक 12.4.2017 (संख्या 20 वर्ष 2017) को रद्द करने हेतु दायर किया गया है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि विपक्षी/प्रथम सूचना देने वाले ने 21.10.2016 को उसी दिन सुबह 05:00 बजे हुई कथित घटना के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट केस क्राइम संख्या 743 वर्ष 2016, अंतर्गत धारा 363, 366 आई.पी.सी. और धारा 17/18 पोक्सो एक्ट, थाना गौरा बादशाहपुर, जिला जौनपुर में दर्ज की गई थी, जिसमें सूचना देने वाले द्वारा आरोप लगाया गया है कि उसकी पुत्री, जिसकी आयु लगभग 14 वर्ष है, घर से लापता है। गवाहों द्वारा सूचित किया गया था कि सुबह 05:00 बजे आवेदक द्वारा पीड़िता को बहला-फुसलाकर ले जाया जा रहा था।
6. जांच अधिकारी ने उचित जांच के बाद 12.4.2017 को आवेदक के विरुद्ध इस मामले में आरोप पत्र प्रस्तुत किया और विद्वान मजिस्ट्रेट ने आदेश दिनांक 7.2.2019 के माध्यम से अपराध का संज्ञान लिया। विचारण चल रहा है और मामला अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य के लिए नियत है। इसी बीच, आवेदक और वर्तमान मामले के प्रथम सूचना देने वाले द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक आवेदन दायर किया गया, जिसमें उल्लेख किया गया है कि पक्षों के बीच विवाह संपन्न हो गया है और अब आवेदक और पीड़िता एक बच्ची के माता-पिता हैं। वे एक साथ खुशी-खुशी रह रहे हैं। प्रथम सूचना देने वाला और उसकी पत्नी भी उक्त विवाह से खुश हैं। आवेदक और सूचना देने वाले के बीच विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान हो गया है। दिनांक 24.2.2026 के समझौते को इस आवेदन के अनुलग्नक-4 के रूप में संलग्न किया गया है।
7. विपक्षी संख्या 2/सूचना देने वाले के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक द्वारा की गई प्रार्थना का विरोध नहीं किया और आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों का समर्थन किया।
8. सूचना देने वाले के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि आवेदक और पीड़िता के बीच विवाह संपन्न हो गया है और यदि इस न्यायालय द्वारा वर्तमान मामले की कार्यवाही रद्द कर दी जाती है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। सूचना देने वाले के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समझौता आवेदन दिनांक 24.2.2026 या आवेदक और पीड़िता के विवाह के तथ्य के संबंध में कोई विवाद नहीं उठाया गया। उन्होंने स्वीकार किया कि आवेदक और पीड़िता के विवाह से एक बच्ची का जन्म हुआ है।²
9. विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक द्वारा की गई प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन विवाह और आवेदक व पीड़िता को बच्ची होने के उपरोक्त तथ्य का खंडन नहीं कर सके।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना और रिकॉर्ड का परिशीलन किया।
11. निस्संदेह, आवेदक और पीड़िता का विवाह काफी समय पहले संपन्न हुआ था, जिसे पीड़िता ने तब स्वीकार किया था जब उसे बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका संख्या 3873 वर्ष 2018 (श्रीमती शिवांगी एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) में 10.12.2018 को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। पीड़िता ने स्पष्ट रूप से कहा था कि उसने आवेदक के साथ विवाह कर लिया है और वह आवेदक के साथ रहना चाहती है। वह अपने पिता के घर नहीं जाएगी। दिनांक 10.12.2018 को इस न्यायालय के समक्ष कॉर्पस (पीड़िता) द्वारा दिए गए स्पष्ट बयान के आलोक में, याचिका स्वीकार कर ली गई थी और पीड़िता को मुक्त कर दिया गया था, और तदनुसार, उसे जहाँ भी वह जाना चाहती थी, जाने की अनुमति दी गई थी। इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.12.2018 निम्नवत है:-

"इस न्यायालय के आदेश दिनांक 16.11.2018 के अनुपालन में, डॉक्टरों की एक टीम द्वारा लड़की की आयु के संबंध में चिकित्सा सत्यापन किया गया है। उक्त टीम द्वारा जारी प्रमाण पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार लड़की की आयु 17 वर्ष है।"

रिकॉर्ड से पता चलता है कि पहले भी लड़की याचिकाकर्ता संख्या 2 के साथ भाग गई थी, जिसके संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। लड़की को बरामद किया गया, उसकी चिकित्सकीय जांच की गई और उसके बाद वह अपने माता-पिता के साथ रह रही थी। बाद में, वह फिर से उसी व्यक्ति यानी याचिकाकर्ता संख्या 2 के साथ भाग गई, फिर से एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई, फिर से लड़की को बरामद किया गया और उसे नारी निकेतन भेज दिया गया। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज लड़की के बयान पर बहुत भरोसा जताया गया है, जिसकी प्रति पेपर बुक के पृष्ठ संख्या 20 पर संलग्न है। शपथ पत्र के पैराग्राफ संख्या 10, 11, 12, 13 और 15 में किए गए कथनों पर भी भरोसा जताया गया है।

इस न्यायालय के आदेश दिनांक 16.11.2018 के अनुपालन में, याचिकाकर्ता संख्या 1 - श्रीमती शिवांगी को महिला कांस्टेबल कुमारी रितु (P.No. 152090889) और पवित्र भूषण तिवारी (P.No. 062590310) द्वारा राजकीय महिला शरणालय / नारी निकेतन, जिला बलिया से इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कॉर्पस श्रीमती शिवांगी - याचिकाकर्ता संख्या 1 ने याचिकाकर्ता संख्या 2 - राजन @ हजारी सोनकर की पहचान अपने पति के रूप में की है, जिसने बदले में याचिकाकर्ता संख्या 1 की पहचान अपनी पत्नी के रूप में की।

याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने अपने चैंबर में अपने समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर दोनों याचिकाकर्ताओं की पहचान की है।

चूंकि कॉर्पस आज इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित है, इसलिए न्यायालय कॉर्पस श्रीमती शिवांगी की जांच करने के लिए आगे बढ़ता है।

पूछे जाने पर, कॉर्पस श्रीमती शिवांगी - याचिकाकर्ता संख्या 1 ने इस न्यायालय के समक्ष एक बयान दिया है कि "मेरा नाम शिवांगी है, मेरे पिता का नाम बांके लाल विश्वकर्मा है, मैंने राजन @ हजारी सोनकर से अपनी मर्जी से शादी की है, मैं अपने पति के साथ जाना चाहती हूं, मैं अपने माता-पिता से मिलना नहीं चाहती हूं।"

कॉर्पस श्रीमती शिवांगी - याचिकाकर्ता संख्या 1 द्वारा आज इस न्यायालय के समक्ष दिए गए स्पष्ट बयान के साथ-साथ डॉक्टरों की टीम द्वारा जारी आयु प्रमाण पत्र को देखते हुए, न्यायालय के पास याचिका स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।

तदनुसार, रिट याचिका स्वीकार की जाती है। कॉर्पस श्रीमती शिवांगी - याचिकाकर्ता संख्या 1 को तत्काल मुक्त किया जाता है और उसे जहाँ भी वह जाना चाहती है, जाने की अनुमति दी जाती है। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस संबंध में कोई बाधा उत्पन्न नहीं की जाएगी और कॉर्पस श्रीमती शिवांगी - याचिकाकर्ता संख्या 1 इस न्यायालय से जाने के लिए स्वतंत्र है।"

12. एक बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र शपथ पत्र के अनुलग्नक-5 के रूप में संलग्न किया गया है, जिसमें जन्म तिथि 12.11.2022 उल्लेखित है और आवेदक व पीड़िता का नाम बच्ची के पिता और माता के रूप में दर्ज है।

13. पीड़िता का बयान पहले ही विचारण न्यायालय के समक्ष 3.9.2022 को PW-2 के रूप में दर्ज किया जा चुका है, जिसमें उसने स्पष्ट रूप से कहा था कि घटना के समय उसकी आयु लगभग 18-19 वर्ष थी और वह आवेदक के प्यार में पागल थी। 21.10.2016 को उसने अपनी मर्जी से अपना पैतृक

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



घर छोड़ दिया और उसके बाद पक्षों के बीच विवाह संपन्न हुआ। उसे न तो बहला-फुसलाकर ले जाया गया और न ही आवेदक द्वारा उसका अपहरण किया गया। अब वह आवेदक की विवाहित पत्नी है। हालांकि, उसके पिता इस विवाह से खुश नहीं थे, इसलिए आवेदक के विरुद्ध झूठी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। चूंकि पीड़िता ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया, इसलिए विद्वान ए.डी.जी.सी. द्वारा उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया और उससे जिरह की गई। उस समय तक, प्रथम सूचना देने वाले द्वारा विवाह को स्वीकार नहीं किया गया था, लेकिन अब उसने विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.2.2026 को एक आवेदन दिया है और आवेदक को अपने दामाद के रूप में स्वीकार कर लिया है।

14. विवाहित जोड़ा भी बहुत लंबे समय से एक साथ रह रहा है और आवेदक व सूचना देने वाले के बीच विवाद सुलझ गया है। सूचना देने वाला आवेदक के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही को समाप्त करने के लिए तैयार है और उसने आवेदक व पीड़िता के विवाह को स्वीकार कर लिया है, जो बहुत समय पहले संपन्न हुआ था।
15. 'के. दंडपाणि बनाम राज्य (पुलिस निरीक्षक के माध्यम से)', 2022 SCC OnLine SC 1056 और 'मफत लाल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य', 2022 SCC OnLine SC 433 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का संदर्भ लिया जा सकता है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने इस आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन को रद्द कर दिया था कि अभियुक्त ने पीड़िता के साथ विवाह कर लिया है और न्यायालय इस तथ्य से आँखें नहीं मूंद सकता। आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता के तर्क के अनुसार, पूर्वोक्त निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत वर्तमान मामले के तथ्यों पर पूरी तरह से लागू होता है। इस प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्वोक्त निर्णयों के संदर्भ में वर्तमान आवेदकों के मामले में कोई अपवाद नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि आवेदक संख्या 1 ने भी पीड़िता के साथ विवाह किया है और पक्षकार खुशी-खुशी साथ रह रहे हैं। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में, आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदकों का आपराधिक अभियोजन कानून और तथ्य दोनों में टिकाऊ नहीं है और इसलिए, इसे इस न्यायालय द्वारा रद्द किया जाना चाहिए।
16. सर्वोच्च न्यायालय ने 'के. दंडपाणि' (उपरोक्त) और 'मफत लाल' (उपरोक्त) के मामले में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही को इन आधारों पर रद्द कर दिया था कि अभियुक्त ने पीड़िता के

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



साथ विवाह कर लिया था और दूसरी बात यह कि न्यायालय इस तथ्य से आँखें नहीं मूंद सकता। चूंकि 'के. दंडपाणि' (उपरोक्त) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय संक्षिप्त है, इसलिए इसे इसकी संपूर्णता में यहाँ पुनरुत्पादित किया जाता है:

"अनुमति प्रदान की जाती है।

अपीलकर्ता, जो पीड़िता का मामा है, वल्यार समुदाय से संबंधित है, जो तमिलनाडु राज्य में एक अत्यंत पिछड़ा समुदाय है। वह एक निजी कारखाने में दैनिक वेतन पर लकड़हारे के रूप में काम करता है। उसके विरुद्ध यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 5(j)(ii) सहपठित धारा 6, 5(l) सहपठित धारा 6 और 5(n) सहपठित धारा 6 के तहत बलात्कार करने के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उसे उक्त अपराधों के लिए विचारण के बाद दोषी ठहराया गया और सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक महिला न्यायालय, तिरुपुर द्वारा 31.10.2018 को 10 वर्ष की अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। उच्च न्यायालय ने 13.02.2019 के आदेश द्वारा दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा। इससे व्यथित होकर अपीलकर्ता ने यह अपील दायर की है।

अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री एम.पी. पारथिवन ने तर्क दिया कि उसके विरुद्ध आरोप यह था कि उसने पीड़िता से विवाह करने के वादे पर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। उन्होंने बताया कि, वास्तव में, उसने पीड़िता से विवाह कर लिया है और उनके दो बच्चे हैं।"

अपीलकर्ता ने यह तर्क दिया कि इस न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए और पूर्ण न्याय करना चाहिए, तथा अपीलकर्ता और पीड़िता के पारिवारिक जीवन में खलल डालना न्याय के हित में नहीं होगा।

08 मार्च, 2022 को कुछ समय तक मामले की सुनवाई करने के बाद, हमने जिला न्यायाधीश को पीड़िता की वर्तमान स्थिति के बारे में उसका बयान दर्ज करने का निर्देश दिया। पीड़िता का बयान रिकॉर्ड पर रखा गया है जिसमें उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसके दो बच्चे हैं और अपीलकर्ता उनकी देखभाल कर रहा है तथा वह एक सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रही है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता डॉ. जोसेफ अरस्तू एस. ने अपीलकर्ता को किसी भी राहत देने का इस आधार पर विरोध किया कि अपराध की तिथि पर पीड़िता की आयु 14 वर्ष थी और उसने 15 वर्ष की आयु में पहले बच्चे को तथा 17 वर्ष की आयु में दूसरे बच्चे को जन्म दिया। उन्होंने तर्क दिया कि अपीलकर्ता और पीड़िता के बीच विवाह कानूनी नहीं है। उन्होंने अपनी आशंका व्यक्त की कि उक्त विवाह केवल सजा से बचने के उद्देश्य से हो सकता है और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इस न्यायालय द्वारा राहत दिए जाने के बाद अपीलकर्ता पीड़िता और बच्चों की देखभाल करेगा।

इस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में, हमारी सुविचारित राय है कि इस न्यायालय के संज्ञान में लाई गई बाद की घटनाओं को देखते हुए, अपीलकर्ता (जो पीड़िता का मामा है) की दोषसिद्धि और सजा रद्द किए जाने योग्य है। यह न्यायालय जमीनी हकीकत से अपनी आँखें नहीं मूंद सकता और अपीलकर्ता व पीड़िता के सुखी पारिवारिक जीवन में खलल नहीं डाल सकता। हमें तमिलनाडु में मामा के साथ लड़की के विवाह की प्रथा के बारे में सूचित किया गया है।

उपरोक्त कारणों से, मामले के विशिष्ट तथ्यों में अपीलकर्ता की दोषसिद्धि और सजा को रद्द किया जाता है और इसे मिसाल के रूप में नहीं माना जाएगा। तदनुसार, अपील का निस्तारण किया जाता है। लंबित आवेदन, यदि कोई हों, निस्तारित माने जाएंगे।

यदि अपीलकर्ता पीड़िता की उचित देखभाल नहीं करता है, तो वह या पीड़िता की ओर से राज्य इस आदेश के संशोधन के लिए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं।"

17. सर्वोच्च न्यायालय ने 'श्रीराम उराव बनाम छत्तीसगढ़ राज्य', क्रिमिनल अपील संख्या 41/2021, दिनांक 10.01.2025 में भी इस आधार पर दोषसिद्धि और सजा को रद्द कर दिया कि अपीलकर्ता/अभियुक्त और शिकायतकर्ता/पीड़िता ने एक-दूसरे से विवाह कर लिया था।
18. इसी प्रकार, 'दासरी श्रीकांत बनाम तेलंगाना राज्य', (2024) SCC OnLine SC 936 के मामले में, जहाँ समान परिस्थितियों और लगभग समान प्रावधानों के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने अभियुक्त के विरुद्ध शुरू की गई कार्यवाही को रद्द कर दिया था। 'दासरी श्रीकांत' (उपरोक्त) के प्रासंगिक पैराग्राफ 8 से 10 इस प्रकार हैं:-

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



"8. चूंकि अपीलकर्ता और शिकायतकर्ता ने एक-दूसरे से विवाह कर लिया है, इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की पुष्टि करने का विनाशकारी परिणाम यह होगा कि अभियुक्त अपीलकर्ता को जेल भेज दिया जाएगा, जिससे शिकायतकर्ता के साथ उसके वैवाहिक संबंध खतरे में पड़ सकते हैं।

9. परिणामस्वरूप, हम विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज और उच्च न्यायालय द्वारा संशोधित अभियुक्त अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को रद्द करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने के इच्छुक हैं।

10. परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय दिनांक 27 जून, 2023 और विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 9 अप्रैल, 2021 को रद्द और निरस्त किया जाता है।"

19. 'महेश मुकुंद पटेल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य', 2025 SCC OnLine SC 614 के एक अन्य निर्णय में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभियुक्त और पीड़िता के बीच विवाह के आधार पर भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 354A, 363, 366, 376 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत दंडनीय अपराध की कार्यवाही को रद्द कर दिया। रिकॉर्ड पर यह लाया गया कि अभियुक्त और पीड़िता के विवाह से दो बच्चों का जन्म हुआ, जिनके दस्तावेज अपील के साथ प्रस्तुत किए गए थे। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में इस आधार पर कार्यवाही रद्द कर दी कि अभियोजन जारी रखने से कोई उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा क्योंकि इससे अपीलकर्ता/अभियुक्त, पीड़िता और उनके बच्चों को अनुचित परेशानी होगी।

20. सर्वोच्च न्यायालय ने 'मधुकर एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य', एस.एल.पी. (क्रिमिनल) संख्या 7212/2025 तथा 'प्रभाकर बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य', एस.एल.पी. (क्रिमिनल) संख्या 7495/2025 के एक अन्य निर्णय में, पक्षों के बीच समझौते के आधार पर केस क्राइम संख्या 302 वर्ष 2023, दिनांक 20.11.2023, अंतर्गत धारा 324, 141, 143, 147, 149, 452, 323, 504 और 506 आई.पी.सी. तथा केस क्राइम संख्या 304 वर्ष 2023, दिनांक 21.11.2023, अंतर्गत धारा 376, 354-A, 354-D, 509 और 506 आई.पी.सी. की कार्यवाही को रद्द कर दिया। उक्त निर्णय के पैराग्राफ संख्या 6, 7 और 8 यहाँ पुनरुत्पादित हैं:-

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



"6. शुरुआत में, हम यह स्वीकार करते हैं कि धारा 376 आई.पी.सी. के तहत अपराध निस्संदेह गंभीर और जघन्य प्रकृति का है। सामान्यतः, पक्षों के बीच समझौते के आधार पर ऐसे अपराधों से जुड़ी कार्यवाही को रद्द करने को हतोत्साहित किया जाता है और इसे हल्के में अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि, न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत न्यायालय की शक्ति किसी कठोर सूत्र से बंधी नहीं है और इसका प्रयोग प्रत्येक मामले के तथ्यों के संदर्भ में किया जाना चाहिए।

7. वर्तमान मामले में, हम एक असामान्य स्थिति का सामना कर रहे हैं जहाँ धारा 376 आई.पी.सी. सहित गंभीर आरोपों वाली प्राथमिकी विपक्षी पक्ष द्वारा दर्ज की गई पिछली प्राथमिकी के तुरंत बाद दर्ज की गई थी। घटनाओं का यह क्रम आरोपों को एक निश्चित संदर्भ देता है और संकेत देता है कि दूसरी प्राथमिकी एक प्रतिक्रियात्मक कदम हो सकती है। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरी प्राथमिकी में शिकायतकर्ता ने स्पष्ट रूप से मामले को आगे न बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की है। उसने प्रस्तुत किया है कि अब वह विवाहित है, अपने निजी जीवन में स्थापित है, और आपराधिक कार्यवाही जारी रखने से केवल उसकी शांति और स्थिरता में खलल पड़ेगा। उसका पक्ष न तो अस्थायी है और न ही संदिग्ध, उसने रिकॉर्ड पर शपथ पत्र के माध्यम से लगातार यह बनाए रखा है कि वह अभियोजन का समर्थन नहीं करती है और चाहती है कि मामला समाप्त हो जाए। पक्षों ने अपने मतभेदों को भी सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है और एक आपसी समझ पर पहुँच गए हैं। इन परिस्थितियों में, विचारण (trial) जारी रखने से कोई सार्थक उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। यह केवल सभी संबंधितों, विशेष रूप से शिकायतकर्ता के लिए संकट को बढ़ाएगा, और बिना किसी सकारात्मक परिणाम की संभावना के अदालतों पर बोझ डालेगा।

8. इसलिए, इस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, और शिकायतकर्ता द्वारा लिए गए स्पष्ट रुख तथा समझौते की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि आपराधिक कार्यवाही जारी रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा और यह केवल प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।"

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



21. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांत के साथ-साथ मामले के तथ्यों को देखते हुए, वर्तमान आवेदन सफल होता है और स्वीकार किए जाने योग्य है। तदनुसार इसे स्वीकार किया जाता है।
22. एस.एस.टी. संख्या 18 वर्ष 2019 (राज्य बनाम हजारी सोनकर), जो केस क्राइम संख्या 743 वर्ष 2016, अंतर्गत धारा 363, 366 आई.पी.सी. और धारा 17/18 पोक्सो एक्ट, थाना गौरा बादशाहपुर, जिला जौनपुर से उत्पन्न हुआ है, की संपूर्ण कार्यवाही और आरोप पत्र दिनांक 12.4.2017 (संख्या 20 वर्ष 2017) को एतद्वारा रद्द किया जाता है।
23. लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।

(विवेक कुमार सिंह, न्यायमूर्ति)

19 मार्च, 2026

ललित शुक्ला

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।